N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0198 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/09/2024 17:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 09/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:45 बजे **Time To (समय तक):** 12:02 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/09/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 11/09/2024 17:01:49 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 330 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** CHAI KI DUKAN, TEHSIL KARYALAY CHECHAT KE PAS, DIST.KOTA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** FAYYUM KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ZMEEL BHAI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO. 07 MAODAK, STATION CHAPEDA, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO. 07 MAODAK, STATION CHAPEDA, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARISH MANDOT		पिता:SOHAN LAL	1. RICHHRIYA ROAD KHIARAVAD,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.09.2024 को 2.45 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा विजय स्वर्णकार ने अपने कक्ष में बुलाकर अपने कक्ष में पूर्व से बैठे व्यक्ति से परिचय करवाते हुये बताया कि ये श्री फय्यूम खान पुत्र श्री जमील भाई निवासी -वार्ड नम्बर 07, मोडक स्टेशन छापेडा जिला कोटा है, इन्होने तहसीलदार कार्यालय तहसील चेचट जिला कोटा में अपनी बहन आबिदा के मोडक स्टेशन के मकान की गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री कराने हेतु दस्तावेज रजिस्ट्रार चेचट में दिये हुये है जिसमें रजिस्ट्री करवाने की एवज में परिवादी फय्यूम खान से तहसीलदार कार्यालय तहसील चेचट जिला कोटा मे कार्यरत श्री हरीश मन्डोत 7,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। परिवादी का प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपूर्दकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाकर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए गए। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी फय्यूम खान को मय प्रार्थना पत्र के लेकर आया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र इस आश्य का था" मैं मोडक कोटा का निवासी हूं मेरी बहन आबिदा का मकान मोडक स्टेशन पर है जिसकी गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री कराने के लिये मैने मकान के दस्तावेज रजिस्ट्रार चेचट श्री भरत यादव के कार्यालय में दिये हुये है, मगर रजिस्ट्रार व उनके कार्यालय में काम करने वाले हरीश मन्डोत मुझे परेशान कर रहे है व रजिस्ट्री करने की एवज में मुझसे 7,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं अपने जायज कार्य के लिये रजिस्ट्रार व हरीश मन्डोत को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरा इनसे कोई पुराना लेन-देन बकाया नहीं है और न ही मेरी इनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है।" आदि। परिवादी ने मजिद दरियाफ्त पर बताया कि मेरी रजिस्ट्री 02.09.2024 को हो गई है, मैंने रजिस्ट्री के सारे पैसे पहले ही जमा करा दिये है। कल में रजिस्ट्री लेने तहसील जाउगां को हरीश मन्डोत मुझसे रिश्वत की मांग करेगा। मुझे कल आवश्यक काम होने से मैं कोटा नहीं आ सकता हूं, मैं ढाबादेह मिल जाऊगां। परिवादी से मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आने से तथा परिवादी कल दिनांक 05.09.2024 को कार्यालय नहीं आने के कारण, कार्यालय के श्री बबलेश कानि. 261 से परिवादी का परिचय करवाया जाकर, परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर दिनांक 05.09.2024 को परिवादी से संपर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के दिशा निर्देश दिये गये। कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से परिवादी श्री फय्यूम खान को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को बन्द व चालू करने की विधि समझाई गई। इसके बाद परिवादी को गोपनीयता की मुनासिब हिदायत कर कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया। दिनांक 05.09.2024 समय 09.00 ए.एम. पर श्री बबलेश कानि. 261 को कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड देकर मुनासिब हिदायतकर परिवादी श्री फय्यूम खान के पास रवाना किया गया। फर्द सुपूर्दगी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.30 पी. एम. पर श्री बबलेश कानि.261 पूर्व का रवानाशुदा मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमेरी कार्ड के वापस कार्यालय हाजा उपिस्थत आया। कानि ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड पेशकर मन् उप अधीक्षक को बताया कि चौकी से रवाना होकर कस्बा ढाबादेह जिला कोटा पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री फय्यूम खान उपस्थित मिला। वहां से मै एवं परिवादी श्री फय्यूम खान मोटर साईकिल से रवाना हो कस्बा चेचट पंहुचे, जहां परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड उसे बन्द व चालू करने की विधि समझाई गई। इसके बाद हम तहसील कार्यालय चेचट के पास पंहुचे, परिवादी मोटर साईकिल से तहसीलदार कार्यालय के अन्दर चला गया मैं भी परिवादी के पीछे-पीछे पैदल तहसील परिसर में चला गया था। परिवादी पहले तहसीलदार के कक्ष में गया, उसके बाद तहसीलदार के पास वाले कमरे में गया, मैं ये सब तहसील परिसर में खड़ा-खड़ा देख रहा था। करीब आधे घण्टे बाद परिवादी तहसील कार्यालय के बाहर चला गया, मैं भी परिवादी के पीछे-पीछे तहसील कार्यालय के बाहर चाय की दुकान पर परिवादी के पास चला गया। परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द अवस्था में मुझे देकर बताया कि मैं तहसील के अन्दर गया तो तहसीलदार साहब श्री भरत कुमार यादव मुझे अपने कक्ष में मिल गये थे उनसे मैंने मेरी रजिस्ट्री के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि आपके दस्तावेज कहां पर है मैंने बोला मैंने सभी दस्तावेज आपके कार्यालय में जमा करवा दिये है। इस पर तहसीलदार जी उनके कार्यालय स्टाफ लक्ष्मण जी को बुलाया तथा मेरी रजिस्ट्री के दस्तावेज मंगवाये। मैंने उनसे बोला कि मैं 5-7 दिन से चक्कर काट रहा हूं इस पर तहसीलदार साहब ने बोला कि कौन चक्कर कटवा रहा है, तू मेरे पास आता ना, मैंने कहा हरीश मण्डोत बुलाता है इसलिये मैं बार बार आता हूं। इस पर तहसीलदार साहब ने हरीश मण्डोत को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि इसको इतने दिन से

चक्कर क्यों कटवा रहा है, इनकी 2 तारीख को रजिस्ट्री हो गई है, हरीश मण्डोत ने कहा कि रजिस्ट्री पर आपके साईन नहीं हुए है। इस पर तहसीलदार जी ने कागजात को देखकर आपकी रजिस्ट्री दिनांक 02.09.2024 को हो गई है, लेकिन उसमें सजरा नहीं है, आप कल सजरा लेकर आ जाना, मैं रजिस्ट्री पर साईन कर दूंगा और हरीश मण्डोत से मौका दिखवाने के लिए कहा। इस पर मैं और हरीश मण्डोत बाहर आ गये। हरीश मण्डोत ने मुझसे बाहर आकर कहा कि तुम सीधे साहब के पास क्यों चले गये, सारा मामला बिगड़ गया है। हर काम में टाईम लगता है। आपसे 7,000 रूपये की बात हुई थी, साढे पांच तो ही बाकी है, इस पर मैंने कम करने के लिए कहा तो हरीश मण्डोत ने कहा कि इसमें क्या कम करूं, ठीक है पांच दे देना। आप कल पैसे ले आना, आपका काम कल करवा दूंगा। तहसील से बाहर आकर मैंने रिकॉर्डर बन्द कर लिया था। परिवादी द्वारा दिये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड को सुरक्षित लेकर कार्यालय आया हूं। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो कानिस्टेबल व परिवादी फय्यूम खान द्वारा कानि. को कहे गये के कथनों की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड को सुरक्षित रखा गया। फर्द प्राप्ति डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 05.09.2024 को सांयकाल परिवादी फय्यूम खान ने जरिये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी हरीश मण्डोत कल आवश्यक कार्य से कोटा जायेगा, इसलिए वह कल तहसील कार्यालय में नहीं मिलेगा, इसलिए वह सोमवार को तहसील कार्यालय में मिलेगा। वह सोमवार को ही 10 बजे मुझसे मेरे काम के बदले में मांगी गई रिश्वत राशि पांच हजार रूपये लेगा। मैं आपको सोमवार को छापेडा मोडक स्टेशन मिल जाऊंगा। आरोपी द्वारा कल सुबह 10 बजे परिवादी को रिश्वत राशी लेकर बुलाया है इसलिए दिनांक 08.09.2024 समय 06.00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा कोटा के नाम तहरीर दी जाकर कल सुबह 8 बजे के लिए दो स्वतंत्र गवाह पाबन्द करने हेतु श्री आशिक हुसैन सउनि को पंचायत समिति लाडपुरा कोटा रवाना किया गया। श्री आशिक हुसैन सउनि कार्यालय पंचायत समिति लाडपुरा कोटा से कार्यालय हाजा उपस्थित आया। सउनि ने बताया कि आज रविवार का दिन होने के कारण कार्यालय बन्द था। इस पर विकास अधिकारी से जरिये मोबाईल वार्ता की गई तो उन्होंने दो कार्मिक श्री कमल कान्त कनिष्ठ सहायक व श्री वीरेन्द्र कुमार विजय वरिष्ठ सहायक के नाम बताये और कहा कि दोनों सुबह 8 बजे आपके कार्यालय में उपस्थित हो जायेंगे। दिनांक 09.09.2024 समय 08.10 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री कमल कान्त कनिष्ठ सहायक व श्री वीरेन्द्र कुमार विजय वरिष्ठ सहायक कार्यालय पंचायत समिति लाडपुरा कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आये। जिनको परिवादी श्री फय्यूम खान द्वारा दिये गये रिश्वत मांग संबंधी प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराया गया व प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहों ने पढ़कर हस्ताक्षर अंकित किये। तत्पश्चात श्री तंवर सिंह कानि. चालक 506 से मालखाने में रखे फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे को निकलवाया जाकर सरकारी वाहन बोलरो के डेस्कबोर्ड में रखवाया गया। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री कमल कान्त कनिष्ठ सहायक व श्री वीरेन्द्र कुमार विजय वरिष्ठ सहायक, श्री गोपाल लाल सउनि, श्री अशिक हुसैन सउनि, श्री बृजराज सिंह हैडकानि 144, श्री बबलेश कुमार कानि 261, श्री योगेन्द्र सिंह कानि 282, श्री अभिषेक कानि 197 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री तवंर सिंह 506 मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, पेन ड्राईव मय मालखाने में सुरक्षित रखे डीवीआर मय मेमौरी कार्ड, खाली मेमौरी कार्ड एवं ट्रेप में काम आने वाली अन्य सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय चेचट रवाना होकर समय 11.05 ए.एम. पर परिवादी के बताये स्थान मोडक स्टेशन छापेड़ा पहुंचा जहां पर परिवादी श्री फय्यूम खान स्वयं की मोटर साईकिल सहित उपस्थित मिला। परिवादी को हमराह लेकर गणेशपुरा रोड मोडक गांव पहुंचा जहां एकान्त रोड पर परिवादी ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी हरीश मण्डोत को दी जाने वाली रिश्वत राशि पांच-पांच सौ रूपये के दस नोट कुल पांच हजार रूपये अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक को पेश किए। इनके नम्बर इस प्रकार है- 1 एक नोट पांच सौ रूपये का 4 FW 963115 2 एक नोट पांच सौ रूपये का 0 CV 544930 3 एक नोट पांच सौ रूपये का 2 DE 714052 4 एक नोट पांच सौ रूपये का 0 ED 714197 5 एक नोट पांच सौ रूपये का 3 NE 190191 6 एक नोट पांच सौ रूपये का 0 FD 260151 7 एक नोट पांच सौ रूपये का 6 HG 681868 8 एक नोट पांच सौ रूपये का 9 DP 415068 9 एक नोट पांच सौ रूपये का 5 EF 496971 10 एक नोट पांच सौ रूपये का 0 VK 207742 श्री तंवर सिंह कानि चालक 506 से सरकारी बोलेरो के डेस्क बोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी फय्यूम खान की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री वीरेन्द्र कुमार विजय से लिवाई जाकर परिवादी के पास उसके पहने हुए कपडों में मोबाईल के अलावा अन्य वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली पाउडर लगी राशि को श्री तंवर सिंह से परिवादी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास में रखी पानी की बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डाल कर घोल तैयार करवाया गया। जिसे गवाहान और परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री तंवर सिंह कानि चालक 506 की अंगुलियों को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को दृष्टान्त देकर गवाहान एवं परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। उक्त प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास के घोल को बाहर फिकवाया जाकर

डिस्पोजल ग्लास एवं काम में लिये गये अखबार को श्री तवंर सिंह कानि चालक से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे को वापस सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड में रखवाया गया। ट्रेप में काम आने वाली कांच की शीशियों एवं श्री तंवर सिंह कानि चालक के हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुये। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर निकालकर देवें। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड परिवादी को सुपुर्द कर समझाईश की गई कि आरोपी से अपने काम की एवं रिश्वत राशि के बारे में स्पष्ट वार्ता करने तथा रिश्वत देने के बाद ट्रेप पार्टी या मन उप अधीक्षक पुलिस को अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें। उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड करें। स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि आरोपी एवं परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को देखने एवं सुनने का प्रयास करें। फर्द पेशकशी नियमानुसार मूर्तिब कर गवाहान को पढ़कर सुनाया गया, सुन समझ सही मान पढ़कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये जिसें शामिल फाईल किया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री फय्यूम खान के हमराह श्री योगेन्द्र सिंह कानि 282 एवं स्वतंत्र गवाह श्री वीरेन्द्र कुमार विजय को परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक, परिवादी के पीछे-पीछे गणेशपुरा रोड मोडक गांव से तहसील कार्यालय चेचट के लिये रवाना होकर तहसील कार्यालय चेचट के पास दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे की पुलिया के नीचे पहुंचे तथा सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक की उपस्थिति छुपाते हुये पुलिया के नीचे खडा करवाया, इसके बाद परिवादी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर रिश्वत राशि देने आरोपी के पास चला गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के तहसील कार्यालय व चेचट पुलिस थाना के आस पास प्राइवेट वाहन व अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ। समय 12.02 पी.एम. पर परिवादी श्री फय्यूम खान ने तहसीलदार कार्यालय तहसील चेचट जिला कोटा के पास स्थित चाय की दुकान के बाहर से मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने सिर पर हाथ फेरकर आरोपी हरीश मन्डोत को रिश्वत राशि दिये जाने बाबत पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही गवाहान मय ट्रेप पार्टी के चाय की दुकान पर पहुचां, तो परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के पेश करते हुये हल्के हरे रंग शर्ट एवं क्रीम कलर की पेन्ट पहने हुये हल्की दाढी वाले ब्यक्ति की तरफ ईशारा करते हुये बताया कि ये हरीश मन्डोत है इसने अभी मुझसे मेरे काम की बात कर मुझसे 5000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछली दांयी जेब में रखे है। मैं पहले तहसील में उनको देखने गया था तो वो तहसील में नहीं मिले। मैंने फोन किया तो उन्होंने मुझे इस चाय की दुकान पर बुलाया था। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना, हमराही गवाहान एवं जाप्ते का परिचय देते हुये आने का मन्तव्य बताया तो आरोपी घबरा गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरीश मन्डोत पुत्र श्री सोहन लाल जाति भील उम्र 35 साल निवासी रिछडिया रोड खैरावाद जिला कोटा होना बताया। चाय की दुकान मैन रोड पर होने के कारण आगामी ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी को यथा स्थिति लेकर मय हमराही गवाहान, जाप्ता, मय परिवादी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर मय वाहनो के पास स्थित पुलिस थाना चेचट पंहुचा, जहां श्री राजेन्द्र मीणा उप निरीक्षक थानाधिकारी उपस्थित मिले जिनसे ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही करने के लिये अनुमति एवं स्थान उपलब्ध करवाने का निवेदन किया तो उन्होने थाना परिसर में बने स्वागत कक्ष में कार्यवाही करने के लिये कहा। इसके बाद थाने में स्थित स्वागत कक्ष में मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी एवं परिवादी के सामने आरोपी हरीश मन्डोत से पूछा कि आपने परिवादी फय्यूम खान से किस बात के पैसे लिये थे तो उसने घबराते हुए बताया कि मैने परिवादी की रजिस्ट्री करवाई थी, जिसकी एवज में मैनें अभी इनसे 5000/रूपये लिये है, ये मेरा मेहनताना हैं, मै ई मित्र चलाता हूं। जिस पर परिवादी फय्यूम खान ने आरोपी के कथनों का खण्डन करते हुये कहा कि ये झूंठ बोल रहा है इसने मेरी बहन के मकान की गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री पर तहसीलदार से हस्ताक्षर करवाने और रजिस्ट्री दिलाने की एवज में रिश्वत ली है। इस पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप में लगाकर सुना गया तो परिवादी के कथनो की पुष्टि हुई। इस पर आरोपी से परिवादी की रजिस्ट्री के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि रजिस्ट्री अभी तहसील कार्यालय चेचट में ही है उस पर तहसीलदार जी के हस्ताक्षर हुये है या नहीं हुये, अभी थोडी देर बाद में तहसील कार्यालय से रजिस्ट्री लेकर आता इससे पहले आप ने मुझे पकड लिया। तत्पश्चात आरोपी हरीश मन्डोत से रिश्वत राशि 5000/ रूपये के बारे में पूछने पर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिने जेब में रिश्वत राशि रखी होना बताया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के समक्ष स्वतंत्र गवाह श्री कमलकान्त वैष्णव द्वारा तलाशी लिवाई गई तो पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री कमलकान्त वैष्णव से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 10 नोट के साथ 50 रूपये का 01 नोट 20 रूपये के 04 नोट कुल राशि 5,130/रूपये,एक मोबाईल टेक्नो स्पार्क कम्पनी का बरंग सफेद,आईडी कार्ड पोकिट जिसमें आरोपी का आधार कार्ड, पेनकार्ड, पंजाब नेशनल बैक का एटीएम कार्ड, ड्राईविगं लाइसेन्स एवं एक रूमाल मिले। उक्त 500-500 के नोटों का मिलान गवाह श्री कमलकान्त वैष्णव व श्री विरेन्द्र कुमार विजय से उक्त रिश्वत राशि के नोटों को पूर्व में फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान करवाये जाने पर हूबहू मिलान होने पर गवाहान से गिनवाया जाकर रिश्वत राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5000 रूपयो को स्वतंत्र गवाह श्री कमलकान्त वैष्णव के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद थाने के केम्पर से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ

पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें थोडा पानी एवं थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर घोल का रंग यथावत रहने पर उस घोल में आरोपी हरीश मन्डोत के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया जिसे गवाहों को दिखाकर धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच-1 व एल.एच-2 अंकित कर जप्त किया गया। इसके बाद दूसरे डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास के घोल में आरोपी हरीश मन्डोत के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित गवाहों को दिखाकर कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशियों पर मार्क- आर.एच-1 व आर.एच-2 अंकित कर जप्त किया गया। इसके बाद एक नये डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का धोल तैयार करवाया गयां। इसके बाद पैजामा मंगवाया जाकर आरोपी की पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर पैजामा पहनाया गया तथा पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब को उल्टा कर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे गवाहों को दिखाकर धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क- पी 1 एवं पी 2 अंकित कर जप्त किया गया। पेन्ट को सुखवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर शील मोहर कर मार्क पी दिया गया जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। प्रयोग में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलवाया जाकर नष्ट किया गया। गवाह श्री कमलकान्त के पास आरोपी हरीश मन्डोत के कब्जे से बरामदशुदा पूर्व में सुरक्षित रखवायी गई रिश्वत राशि 5,000/-रूपये का मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो उपरोक्त सभी नोटों के नम्बर फर्द में अंकित नम्बरों सें हूबहू मिलने पर उक्त सभी नोटो को एक कागज के पीले रंग के लिफाफे में रखकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर नोटों को मय लिफाफे एवं आरोपी के मोबाईल टेकनो स्पार्क कंपनी का बंरग सफेद अनशील्ड वजह सबूत जब्त कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त समस्त जप्ती की कार्यवाही की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड में जर्ये मोबाईल करवाई गई। फर्द बरामदगी रिश्वती नोट एवं हाथ धुलाई नियमानुसार बनायी जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाया जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 01.10 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री फय्यूम खान के उसकी बहिन आबिदा द्वारा मोडक स्टेशन के मकान की गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री से संबंधित प्रमाणित शुदा दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु श्री आशिक हुसैन सउनि को तहसीलदार तहसील कार्यालय चेचट जिला कोटा को मय पत्रांक स्पे. 01 दिनांक 09.09.2024 भेजा। श्री आशिक हुसैन सउनि रजिस्ट्री की फोटो प्रति प्राप्त कर लाया। दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया गया गया दिनांक 02.09.2024 को परिवादी के पक्ष में गिफ्ट डीड होना प्रमाणित हैं एवं गिफ्टडीड की रजिस्ट्री पर रजिस्ट्रार (तहसीदार) के हस्ताक्षर हो रखे है एवं गिफ्ट की गई सम्पत्ति के फोटोग्राफ भी रजिस्ट्री में अंकित है। प्रमाणितशुदा दस्तोवज प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावेगा। समय 02.15 पी.एम. पर परिवादी श्री फय्यूम खान एवं हरीश मण्डोत के मध्य हुई दिनांक 05.09.2024 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता को परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया था। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को स्वतंत्र गवाहान् श्री कमल कान्त एवं श्री वीरेन्द्र कुमार विजय एवं परिवादी के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री बबलेश कुमार कानि 261 द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप लगाया जाकर स्पीकर चालूकर स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी को सुनाया गया। श्री बबलेश कुमार कानि 261 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री फय्यूम खान एवं आरोपी हरीश मण्डोत के मध्य दिनांक 09.09.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता को परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया था। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को स्वतंत्र गवाहान् श्री कमल कान्त एवं श्री वीरेन्द्र कुमार विजय तथा परिवादी के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री बबलेश कुमार कानि 261 द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप लगया जाकर स्पीकर चालूकर स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी को सुनाया गया। श्री बबलेश कुमार कानि 261 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री कमल कान्त एवं श्री वीरेन्द्र कुमार विजय के समक्ष दिनांक 05.09.2024 को परिवादी श्री फय्यूम खान एवं आरोपी के मध्य वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं दिनांक 09.09.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता में आरोपी हरीश मण्डोत की आवाज का परीक्षण राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से करवाने हेतु आरोपी श्री हरीश मण्डोत को नोटिस नमूना आवाज दिया गया तो आरोपी ने अपने हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नहीं देना चाहता हू"। नोटिस नमूना आवाज पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान श्री कमल कान्त एवं श्री वीरेन्द्र कुमार विजय की मौजूदगी में मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की निशादेही पर घटनास्थल तहसील कार्यालय चेचट के पास चाय की दुकान का फर्द नक्शा मौंका कशीद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

समय 05.45 पी.एम. पर परिवादी श्री फय्यूम खान व आरोपी हरीश मण्डोत के मध्य दिनांक 05.09.2024 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं दिनांक 09.09.2024 को वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे पृथक-पृथक मैमोरी काड्र्स Sand Disk 32 GB micro SDHC-I में रिकॉर्ड किया गया था। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमल कान्त व श्री वीरेन्द्र कुमार विजय के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वती लेनदेन वार्ता को दोनों मेमौरी काड्र्स से जरिये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के लेपटोप में श्री बबलेश कुमार कानि 261 से लिवाई जाकर सेव कर कॉपी पेस्ट कर चार पेन ड्राईव SanDisk Cruzer Blade USB 2.0 Flash Drive 32 GB तैयार करवाये गये, जिसमें से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज कार्यवाही के लिये, एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये, को कवर में रखकर एवं डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में उपयोग लिये गये दोनों मूल मैमोरी काड्र्स Sand Disk 32 GB micro SDHC-I को कवर में कवर सहित ही अलग-अलग कपडे की थैलियों में सील चिट कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव को अनुंसधान अधिकारी के लिए अनशील्ड कवर में रखवाया गया। फर्द डबिंग वार्ता एंव जब्ती पेनड्राईव तैयार कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.11 पी.एम. पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमल कान्त व श्री वीरेन्द्र कुमार विजय के समक्ष आरोपी हरीश मण्डोत को परिवादी श्री फय्यूम खान से उसकी बहिन आबिदा के मकान की गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री पर तहसीलदार से हस्ताक्षर करवाने एवं दिलवाने की एवज में 5000 रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये दिनांक 09.09.2024 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। दौराने बरामदगी एवं हाथ धुलाई की वीडियोंग्राफी मोबाईल में लगे मेमौरी कार्ड SanDisk Cruzer Blade USB 2.0 Flash Drive 32 GB में रिकॉर्ड किया गया था। मोबाईल में लगे मूल मेमौरी कार्ड को लेपटॉप में लगाकर उक्त विडियोग्राफी को श्री बबलेश कुमार कानि 261 से लिवाई जाकर सेव कर कॉपी पेस्ट कर तीन पेन ड्राईव SanDisk Cruzer Blade USB 2.0 Flash Drive 32 GB तैयार करवाये गये, जिसमें से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये एवं एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये तथा विडियोग्राफी में प्रयोग किए गए मूल मैमोरी कार्ड Sand Disk 32 GB micro SDHC-I को कवर में कवर सहित ही अलग-अलग कपडे की थैलियों में सील चिट कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव को अनुंसधान अधिकारी के लिए अनशील्ड कवर में रखवाया गया। समय 06.30 पी.एम. पर आरोपी श्री हरीश मण्डोत की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कमल कान्त द्वारा ली गई थी। जामा तलाशी में आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से 50 रूपये का 01 नोट 20 रूपये के 04 नोट कुल राशि 130/रूपये, आईडी कार्ड पोकिट जिसमें आरोपी का आधार कार्ड, पेनकार्ड, पंजाब नेशनल बैक का एटीएम कार्ड, ड्राईविगं लाइसेन्स एवं एक रूमाल मिले, आरोपी ने 130 रूपये अपने खर्चे के पूर्व से रखे होना बताया, उपरोक्त की प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने सें छायाप्रति करवाकर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों एवं दस्तावेजों को पृथक सें परिजनों को सुपुर्द किया जावेगा। आरोपी के पास पहने हुये कपडों के अलावा कोई अन्य वस्तु दस्तियाब नहीं हुई। आरोपी द्वारा परिवादी की बहिन के मकान की गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री पर तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाने एवं रजिस्ट्री दिलवाने की एवज में रिश्वत राशि मांग कर रिश्वत राशि ग्रहण की है। आरोपी हरीश मण्डोत का उक्त कृत्य धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधी में आने से हरीश मन्डोत पुत्र श्री सोहन लाल जाति भील उम्र 35 साल निवासी रिछडिया रोड खैरावाद जिला कोटा हाल ई-मित्र संचालक, तहसीलदार कार्यालय तहसील चेचट जिला कोटा को विधिक अधिकारों से अवगत कराया जाकर स्वतंत्र गवाह श्री कमल कान्त एवं श्री वीरेन्द्र कुमार विजय के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के मित्र विष्णु दिवाकर को दी गई। समय 09.30 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री कमल कान्त व श्री वीरेन्द्र कुमार विजय मय हमराही जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी हरीश मण्डोत मय जप्तशुदा आर्टीकल्स रिश्वत राशि 5,000 रूपये मय लिफाफे, धोवन की शील्डशुदा 06 शीशियां, एक शील्डशुदा पेन्ट का पैकिट, आरोपी का मोबाईल टेकनो कंपनी का सफेद रंग का अनशील्ड, 03 शील्डशुदा मूल मेमौरी कार्डस, 05 शील्डशुदा पेन ड्राईव, 02 अनशील्ड पेन ड्राईव, लेपटॉप, प्रिन्टर, एवं ट्रेप बॉक्स के पुलिस थाना चेचट से कार्यालय हाजा के लिये प्राईवेट व सरकारी वाहन बोलेरो से रवाना हुआ। परिवादी को मौके से रूकसत किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मय गिरफ्तारशुदा आरोपी हरीश मण्डोत मय जप्तशुदा आर्टीकल्स रिश्वत राशि 5000 रूपये मय लिफाफे, धोवन की शील्डशुदा 06 शीशियां, एक शील्डशुदा पेन्ट का पैकिट, आरोपी का मोबाईल टेकनो कंपनी का सफेद रंग का अनशील्ड, 03 शील्डशुदा मूल मेमौरी कार्डस, 05 शील्डशुदा पेन ड्राईव, 02 अनशील्ड पेन ड्राईव, लेपटॉप, प्रिन्टर, एवं ट्रेप बॉक्स के कार्यालय हाजा पहुंचा। जप्तशुदा आर्टीकल्स रिश्वत राशि 5000 रूपये मय लिफाफे, धोवन की शील्डशुदा 06 शीशियां, एक शील्डशुदा पेन्ट का पैकिट, 03 शील्डशुदा मूल मेमौरी कार्डस एवं 05 शील्डशुदा पेन ड्राईव के जब्तशुदा माल को मालखाना प्रभारी श्री बृजराज सिंह हैडकानि 144 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा संपूर्ण कार्यवाही स्वतंत्र गवाहान श्री कमल कान्त कनिष्ठ सहायक व श्री वीरेन्द्र कुमार विजय वरिष्ठ सहायक को जायद तैनाती रूखसत किया गया। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी फय्यूम खान पुत्र श्री जमील भाई जाति मुसलमान निवासी मोडक स्टेशन छापेडा जिला कोटा की बहिन आबिदा के मकान की गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री करवाने हेतु परिवादी व उसकी बहिन दिनांक 02.09.2024 को रजिस्ट्रार कार्यालय चेचट जिला कोटा में उपस्थित हुये व उक्त गिफ्ट डीड का संपूर्ण शुल्क जमा

कराकर रजिस्ट्री कार्य संपन्न करवा दिया था। उसके पश्चात भी आरोपी हरीश मण्डोत द्वारा परिवादी की बहिन आबिदा के मकान की गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री पर तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाने व रजिस्ट्री दिलवाने की एवज में 7,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करने व 5,000 रूपये रिश्वत राशि लेना प्रमाणित हुआ है। दिनांक 02.09.2024 को रजिस्ट्री ऑन लाईन हो चुकी थी, रजिस्ट्री ऑन लाईन तब होती है जब संपूर्ण कागजात तैयार हो जाते है। परिवादी श्री फय्यूम खान अपनी बहिन आबिदा द्वारा मोडक स्टेशन में स्थित मकान की गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री दिनांक 02.09.2024 को करवाई गई, उक्त रजिस्ट्री को लेने के लिए परिवादी दिनांक 05.09.2024 को जब तहसीलदार भरत कुमार यादव से तहसील कार्यालय में मिला तो तहसीलदार ने रजिस्ट्री संबंधी संपूर्ण कार्यवाही होने के बाद भी परिवादी को रजिस्ट्री टाईपकर्ता आरोपी हरीश मण्डोत से मिलकर सजरा लाने के लिये कहना एवं रजिस्ट्री नहीं देना आदि से यह प्रतीत होता हैं कि तहसीलदार भरत कुमार यादव तहसील चेचट जिला कोटा की भूमिका उक्त प्रकरण में संदिग्ध है। आरोपी हरीश मण्डोत द्वारा दिनांक 05.09.2024 को परिवादी श्री फय्यूम खान से परिवादी की बहिन आबिदा द्वारा अपने मकान की गिफ्ट डीड रजिस्ट्री पर तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाने एवं उसे देने की एवज में परिवादी से 7,000 रूपये रिश्वत की मांग करने तथा दिनांक 05.09.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय 7000 रू की मांगकर 5000 रू. देने पर सहमत होने तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी से रिश्वती राशि 5,000 रू. अपने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की दायीं जेब में रखने तथा आरोपी की हाथ धुलाई से उसके बायें हाथ का धोवन मटमैला आने तथा दायें हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने तथा पेंट की पीछे की दायीं जेब का रंग गुलाबी आने सें आरोपी हरीश मण्डोत का उक्त कृत्य धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का होने एवं तहसीलदार भरत कुमार यादव द्वारा परिवादी की गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री को अनावश्यक रोक कर एवं आरोपी हरीश मण्डोत से तहसील कार्यालय में कार्य कराने में सहायता लेने का अवैधानिक कृत्य करने से उनकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। आरोपी हरीश मन्डोत पुत्र श्री सोहन लाल जाति भील उम्र 35 साल निवासी रिछडिया रोड खैरावाद जिला कोटा हाल ई-मित्र संचालक, तहसीलदार कार्यालय तहसील चेचट जिला कोटा को विधिक अधिकारों से अवगत कराया जाकर स्वतंत्र गवाह श्री कमल कान्त एवं श्री वीरेन्द्र कुमार विजय के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। आरोपी हरीश मण्डोत व अन्य के विरूद्व धारा 7ए एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (अनिष अहमद) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपार्ट श्री अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट में जर्म अन्तर्गत धारा 7ए एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित2018) में आरोपी श्री हरीश मन्डोत पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी रिछडिया रोड खैराबाद जिला कोटा के विरूद्ध प्राप्त होने पर श्रीमान महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार प्रकरण दिनांक 11-09-2024 को दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री जगराम मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनमचा आम रपट संख्या 183 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1066-68 दिनांक 11-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 3-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGRAM MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]9/2024 1[illegible]2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)